न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/5049/2003/अजमेर

1. भंवरसिंह मुतबन्ना मंगजकंवर बेवा स्व. सवाईसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर

....अपीलान्ट/प्रतिवादी

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र विजयसिंह
2. स्वरूपसिंह पुत्र स्व. बच्चनसिंह
3. मदनसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह
4. मगनसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
    - 4/1. नन्दसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह
    - 4/2. कानसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह
    - 4/3. मूलसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह
    - 4/4. हवाकंवर पुत्र स्व. मगनसिंह
    - 4/5. सोनाकंवर पुत्री स्व. मगनसिंह
    - 4/6. बिरानाकंवर पुत्री स्व. मगनसिंह
5. गुलाबसिंह पुत्र स्वर्गीय विजय सिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
    - 5/1. परमेश्वर कंवर पत्नी स्व. गुलाबसिंह
    - 5/2. भंवरकंवर पुत्री स्व. गुलाबसिंह
    - 5/3. मैना कंवर पुत्री स्व. गुलाबसिंह
    - 5/4. रेखाकंवर पुत्री स्व. गुलाबसिंह
    - 5/5. धमेन्द्रसिंह पुत्र स्व. गुलाबसिंह
    - 5/6. जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. गुलाबसिंह
6. कुन्दनसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह
7. सुल्तानसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह
8. श्रीमती तेजकंवर पत्नि स्व. बजरंगसिंह
9. नरपतसिंह पुत्र स्व. बजरंगसिंह
10. श्रीमती प्रेमकंवर पत्नि स्व. गुमानसिंह
11. गजराजसिंह पुत्र स्व. गुमानसिंह
12. रामसिंह पुत्र स्व. गुमानसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक श्रीमती प्रेमकंवर पत्नि स्व. गुमानसिंह
13. श्रीमती प्रेमकंवर पत्नि स्व. हरिसिंह
14. उम्मेदसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
15. जगदीश सिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
16. फूलसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
17. हिम्मतसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
18. दशरथसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह

–समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर

19. श्रवणसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह

20. मदनसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह
21. गोपालसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह
22. नारायणसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह
23. विशनसिंह पुत्र छोगासिंह
24. सुवासिंह पुत्र छोगासिंह

–समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम मजरा मोतीसर (सूरजकुण्ड) तहसील पीसांगन जिला अजमेर

25. सुमेर सिंह उर्फ समन्दर पुत्र देवी सिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**

25/1. सायरकंवर पत्नि स्व. सुमेरसिंह
25/2. महिपाल सिंह पुत्र स्व. सुमेरसिंह
25/3. शेरसिंह पुत्र स्व. सुमेरसिंह
25/4. कंचरकंवर पुत्री स्व. सुमेरसिंह
25/5. ओमंकवर पुत्री स्व. सुमेरसिंह
25/6. संतोषकंवर पुत्री स्व. सुमेरसिंह
25/7. विनोदकंवर पुत्री स्व. सुमेरसिंह
25/8. लक्ष्मीकंवर पुत्री स्व. सुमेरसिंह

–समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर

26. सोहनसिंह पुत्र देवीसिंह **– मृतक (कायममुकाम)**

26/1. पारसकंवर बेवा स्व. सोहनसिंह
26/2. तेजसिंह पुत्र स्व. सोहन सिंह
26/3. बहादुरसिंह पुत्र स्व. सोहन सिंह
26/4. मनोहरसिंह स्व. सोहन सिंह
26/5. निशाकंवर पुत्री स्व. सोहन सिंह

27. लोकेन्द्रसिंह मुतबन्ना चतरसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक पिता स्वरूपसिंह पुत्र बच्चनसिंह

–समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर

28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर

....रेस्पोडेन्ट्स

(2) प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/5111/2003/अजमेर

1. गुलाबसिंह पुत्र स्वर्गीय विजय सिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**

1/1. परमेश्वर कंवर पत्नी स्व. गुलाबसिंह
1/2. भंवरकंवर पुत्री स्व. गुलाबसिंह
1/3. मैना कंवर पुत्री स्व. गुलाबसिंह
1/4. रेखाकंवर पुत्री स्व. गुलाबसिंह
1/5. धमेन्द्रसिंह पुत्र स्व. गुलाबसिंह
1/6. जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. गुलाबसिंह

2. सुमेर सिंह उर्फ समन्दर पुत्र देवी सिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**

2/1. सायरकंवर पत्नि स्व. सुमेरसिंह
2/2. महिपाल सिंह पुत्र स्व. सुमेरसिंह
2/3. शेरसिंह पुत्र स्व. सुमेरसिंह
2/4. कंचरकंवर पुत्री स्व. सुमेरसिंह

2/5. ओमंकवर पुत्री स्व. सुमेरसिंह
2/6. संतोषकंवर पुत्री स्व. सुमेरसिंह
2/7. विनोदकंवर पुत्री स्व. सुमेरसिंह
2/8. लक्ष्मीकंवर पुत्री स्व. सुमेरसिंह
–समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर

....अपीलांट्स/प्रतिवादीगण

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर
2. भंवरसिंह मुतबन्ना मंगजकंवर बेवा स्व. सवाई सिंह
3. स्वरूपसिंह पुत्र स्व. बच्चनसिंह
4. मदनसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह
5. मगनसिंह पुत्र स्व. विजय सिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
   5/1. नन्दसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह
   5/2. कानसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह
   5/3. मूलसिंह पुत्र स्व. मगनसिंह
   5/4. हवाकंवर पुत्र स्व. मगनसिंह
   5/5. सोनाकंवर पुत्री स्व. मगनसिंह
   5/6. बिरानाकंवर पुत्री स्व. मगनसिंह
6. कुन्दनसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह
7. सुल्तानसिंह पुत्र स्व. विजयसिंह
8. श्रीमती तेजकंवर पत्नि स्व. बजरंगसिंह
9. नरपतसिंह पुत्र स्व. बजरंगसिंह
10. श्रीमती प्रेमकंवर पत्नि स्व. गुमानसिंह
11. गजराजसिंह पुत्र स्व. गुमानसिंह
12. रामसिंह पुत्र स्व. गुमानसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक श्रीमती प्रेमकंवर पत्नि स्व. गुमानसिंह
13. श्रीमती प्रेमकंवर पत्नि स्व. हरिसिंह
14. उम्मेदसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
15. जगदीश सिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
16. फूलसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
17. हिम्मतसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
18. दशरथसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
–समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर
19. श्रवणसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह
20. मदनसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह
21. गोपालसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह
22. नारायणसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह
23. विशनसिंह पुत्र छोगासिंह
24. सुवासिंह पुत्र छोगासिंह

–समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम मजरा मोतीसर (सूरजकुण्ड) तहसील पीसांगन जिला अजमेर

25. सोहनसिंह पुत्र देवीसिंह **– मृतक (कायममुकाम)**

25/1. पारसकंवर बेवा स्व. सोहनसिंह

25/2. तेजसिंह पुत्र स्व. सोहन सिंह

25/3. बहादुरसिंह पुत्र स्व. सोहन सिंह

25/4. मनोहरसिंह स्व. सोहन सिंह

25/5. निशाकंवर पुत्री स्व. सोहन सिंह

26. लोकेन्द्र सिंह मुतबन्ना चतरसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक पिता स्वरूपसिंह पुत्र बच्चनसिंह

–समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन जिला अजमेर

27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर

....रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थितः–

(प्रकरण संख्या : 5049/2003)
श्री एस.पी.सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री एस.पी.ओझा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स
(प्रकरण संख्या : 5111/2003)
श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री एस.पी.ओझा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः– 03–02–2021

यह दोनों द्वितीय अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील सं. 19/2003 में पारित एक ही निर्णय व डिक्री दिनांक 07–10–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. इन दोनों प्रकरणों की एक ही विषयवस्तु तथा विवाद का बिन्दु एक ही होने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर मुख्यालय, अजमेर के समक्ष मोहनसिंह/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 91, 92–ए, 188 के तहत ग्राम सूरजकुण्ड तहसील पीसांगन स्थित वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में उल्लेखित विवादित आराजियात भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 भंवरसिंह ने अपना जवाबदावा पेश कर वादी के वाद को संधारण योग्य नहीं होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया। कालान्तर में वादी ने प्रतिवादी संख्या 13 श्रीमती प्रेमकंवर के देहान्त होने के कारण उसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत मियाद से बाधित एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र में किए गए विलम्ब को क्षमा करने बाबत संलग्न भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में उभयपक्ष की बहस सुनकर आज्ञा दिनांक 30–01–2003 द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए वादी के मूल वाद को उपशमित होना निर्धारित करते हुए खारिज कर दिया। उक्त आज्ञा के विरूद्ध अपीलार्थी/वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायलय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 07–10–2003 पारित किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में यह परिभाषित किया कि **विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को अबेट किया है, उसे सेटेसाईट किया जाता है तथा सहायक जिला कलक्टर अजमेर का निर्णय दिनांक 30–01–2003 को खारिज कर पत्रावली को इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधिनुकूल निर्णय मेरिट पर करें**। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित उक्त एक ही निर्णय दिनांक

07–10–2003 से व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी भंवरलाल ने द्वितीय अपील संख्या 5049/2003 व प्रतिवादी अपीलार्थी/गुलाबसिंह वगैरहा ने द्वितीय अपील संख्या 5111/2003 मण्डल के समक्ष पेश की।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/प्रतिवादी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि प्रश्नगत रकबे से वादी का कोई संबंध नहीं है तथा न ही मौके पर वादी का कब्जाकाश्त रहा है। उनका यह भी कथन है कि प्रतिवादी संख्या 13 का देहान्त होने के कारण उसके द्वारा मृत्यु की सूचना दिनांक 30–01–2001 को स्वयं वादी व विचारण न्यायालय को प्रस्तुत कर दी थी। इस आधार पर विचारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 30–01–2001 से वादी को मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत कार्यवाही किए बाबत आदेशित किया। इसके बाद भी वादी ने 2 वर्ष तक मृतक के कायममुकामान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की, इस कारण वादी का वाद स्वतः ही उपशमित हो गया है। अतः मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 30–01–2003 विधि सम्मत है। उनका तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 13 का देहान्त होने के कारण 2 वर्ष वाद मियाद से बाधित एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। उनका तर्क है कि मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वादी ने कायममुकाम की जानकारी कैसे व किस समय तथा किससे प्राप्त हुई, इसका उल्लेख नहीं किया है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वाद पत्र कानूनन 90 दिवस बाद स्वतः ही बिना किसी न्यायिक आदेश के उपशमित हो चुका है। उनका यह भी तर्क है कि वादी के आलोच्य प्रार्थना पत्र में मृतक की तिथि का भी अंकन नहीं किया गया, इस कारण वादी का उक्त प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था। उनका आगे कहना है कि मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वादी ने विलम्ब की

अवधि का उल्लेख नहीं किया है। उक्त स्थिति में वादी का मियाद से बाधित प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है। उनका आगे कहना है कि अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड तथा विधि प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो कि मनमर्जी से पारित किया जाना परिभाषित होता है। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने अपील की कार्यवाही में वादी के कायममुकाम के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के विलम्ब से पेश किए जाने के क्रम में किसी प्रकार का अभिमत व्यक्त नहीं किया है, इस कारण आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 07-10-2003 को निरस्त करते हुए सहायक जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-01-2003 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 1998 डीएनजे राज. 767, 2000 आरआरडी 421, 1997 आरएलडब्ल्यू 377, 1988 आरआरडी 143, 1995 आरआरडी 499, 2000 आरआरडी 377, 2003 आरआरटी 1170, 1994 डीएनजे राज. 126 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/वादी ने अपीलार्थी की अपील का विरोध करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया है। उनका कहना है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 9 में स्पष्ट विवेचित किया गया है कि एक प्रतिवादी के देहान्त होने के कारण सम्पूर्ण दावा अबेट नहीं हो सकता है। आगे बताया कि मृतक के वारिसान पूर्व से ही रेकार्ड पर है तथा कुछ लडकियां बाहर रहती है, इस कारण देरी से कायममुकाम को रेकार्ड पर लेने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उनका आगे कहना है कि आदेश 22 नियम 4 (3) में प्रतिपादित व्याख्या के अनुसार दावा मृतक की हद तक खारिज हो सकता है लेकिन सम्पूर्ण वाद खारिज नहीं हो सकता है। उनका आगे कहना है कि मृतक की पुत्रियां ससुराल में निवास करती है तथा उनके

पते की जानकारी में समय लगा, इस कारण आवेदन समयावधि में ही है। अतः ना जानकारी का समय न्यायहित व कानूनन क्षमा किए जाने योग्य है। उनका है कि सहखातेदार एवं मृतक के वारिस पूर्व से ही रेकार्ड पर है, इस कारण वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि वादी ग्रामीण एवं अज्ञानी खेतीहर काश्तकार है एवं मृतका की पुत्रियां जयपुर ससुराल में निवास करने की वजह से उनके नाम व सही पते की जानकारी तत्समय पर नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को गुणावगुण पर विवेचित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटिकारित नहीं की है। उक्त परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय द्वारा पारित निर्णय विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित है तथा जिनमें हस्तक्षेप करने के कोई ठोस कारण अपीलार्थी ने प्रदर्शित नहीं किए है। अन्त में उन्होंने द्वितीय अपील खारिज कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत कायम रखे जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 1975 आरआरडी 207, 2004 आरआरटी 228, 2017 आरआरटी 926, 2008 आरआरटी 844, 2004 आरआरटी 698, 2017 डलएनजे 384, 1974 आरआरडी 302, 2007 आरबीजे 195 वप 2018 डीएनजे 1336 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

8. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों एवं पारित किए गए निर्णयों के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि मूल दावे की कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 13 का देहान्त होने के कारण उसके विधिक वारिसान की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नहीं किए जाने के आधार पर विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को उपशमित निर्धारित करते हुए आज्ञा दिनांक 30-01-2003 से सम्पूर्ण वाद को खारिज कर दिया। हमारे द्वारा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया गया है। जिससे यह

ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 13 का देहान्त दिनांक 12–01–2001 को होने की सूचना प्रतिवादी ने दिनांक 30–01–2001 को न्यायालय एवं वादी स्वयं को दे दी थी। जिसका उल्लेख विचारण न्यायालय की आदेशिका में किया गया है। यह भी प्रमाणित है कि दोनों पक्ष एक ही गांव के निवासी होने के कारण मृतक की सूचना तत्समय संज्ञान में थी। रेकार्ड से यह विदित होता है कि प्रतिवादी संख्या 13 के देहान्त के बाद वादी द्वारा मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23–01–2003 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 5 का आवेदन मय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के पेश किया। सर्वप्रथम हमारे द्वारा मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का विधिनुसार विश्लेषण किया है, जिससे हम पाते है कि वादी ने आलोच्य प्रार्थना पत्र में मृतक के निवास स्थान की जानकारी का स्त्रोत अंकित नहीं किया है तथा जिससे जानकारी प्राप्त की है, उन व्यक्यिों का शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, जिससे उनके कथनों की पुष्टि हो सके। इसके अतिरिक्त मियाद प्रार्थना पत्र में जिस अवधि को क्षमा किया जाना है, इस बाबत अवधि को भी उल्लेखित नहीं किया गया है। अतः हमारी राय में वादी के द्वारा पेश मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र विधिक प्रक्रियाओं के तहत पेश नहीं किए जाने का उसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

9. द्वितीय वादी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के क्रम में उल्लेख करना समीचीन है कि जब मृतक का देहान्त वर्ष 2001 में ही चुका है। उक्त स्थिति में मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत वादी द्वारा आवेदन दिनांक 30–01–2003 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, अर्थात 2 वर्ष की एक लम्बी व्यतीत हो जाने के बाद वादी द्वारा कायममुकाम की कार्यवाही की गई है। जबकि विधायिका की भावना के अनुसार मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत 90 दिवस की समयावधि निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित समयावधि में कायममुकाम की कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में मूल वाद स्वतः ही उपशमित

होना निर्धारित होता है। उल्लेखनीय है कि वादी के कायममुकाम के प्रार्थना पत्र में उपशमन को निरस्त करने का भी वादी द्वारा अनुतोष नहीं चाहा गया है। ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी संधारण योग्य नहीं माना जा सकता। यह भी प्रकट होता है कि वादी ने प्रतिवादी 1 लगायत 27 के विरूद्ध वादकरण उत्पन्न होना कथित किया है और समान दादरसी भी चाही गई है। उक्त समस्त विवेचन के फलस्वरूप मामले में विचारण न्यायालय ने वादी के मूल वाद को उपशमित होना निर्धारित कर सम्पूर्ण वाद को खारिज करने में किसी विधि का उल्लंघन अथवा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना इंगित नहीं होता है। अतएवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 30–01–2003 विधि सम्मत होना पायी जाती है।

10. उक्त विधि सम्मत रूप से पारित किए गए निर्णय के विरूद्ध पेश प्रथम में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर प्रकरण में गुणावगुण के बिन्दु पर दृष्टिपात करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु मामले को प्रतिप्रेषित किया है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में मृतक के विधिक वारिसान को निर्धारित समयावधि में नहीं लिए जाने के क्रम में किसी प्रकार का अभिमत नहीं दिया है। यही नहीं अपीलीय न्यायालय ने वादी के आलोच्य प्रार्थना पत्र के संलग्नक मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र का भी विधिनुसार विश्लेषण नहीं किया है, जबकि वादी का मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र बेबुनियाद, असत्य व अस्पष्ट था। अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में केवल मात्र यह विवेचन किया कि एक प्रतिवादी के देहान्त हो जाने के बाद वाद का आगामी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार जीवित रहता है। किन्तु उनके द्वारा समयावधि बाबत किसी प्रकार का कोई अभिमत प्रकट नहीं किया। जबकि हस्तगत मामले में वादी ने 2 वर्ष की अवधि के बाद मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत अपना आवेदन पेश किया है, जो कि अविधिक है। क्योंकि विधायिका ने मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत समयावधि के जिस उद्देश्य को परिभाषित किया है, उसका इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से उपहास हुआ है। इस प्रकार मामले में प्रथम अपीलीय

न्यायालय द्वारा प्रकरण को गुणावगुण पर विवेचित करने हेतु पुनः प्रेषित किए जाने के निष्कर्ष से यह न्यायालय सहमत नहीं है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसका समर्थन का अकाट्य प्रमाण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07–10–2003 नितान्त त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। रेस्पोन्ट्स ने अपने तर्को के समर्थन में जिन न्यायिक दृष्टान्तों का अवलम्बन लिया है, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से मेल नहीं खाने के कारण रेस्पोडेन्ट्स को इनसे कोई लाभ नहीं हो सकता। स्थिति यह प्रकट होती है कि आलोच्य द्वितीय अपील में तथ्य एवं विधि का बिन्दु निहित होने के कारण इसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07–10–2003 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(विनीता श्रीवास्तव)
सदस्य